भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 37B/2018-19

कृष्णा महतो **बनाम** अमिता महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13-07-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 895 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 37B/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता कृष्णा महतो पिता साईबु महतो, ग्राम–पंडाकाटा, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावां ने ऋण परिशोधन हेतु क्रेता श्रीमति अमिता महतो, पति श्री भक्तु महतो, ग्राम–मानीकबाजार, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला –खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मानिकबाजार	286	04	474/अं0	0.03ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वंय के नाम से पंजी कायम है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। बिक्रेता के पास 2.24 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.03 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.21 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.03एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

13/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।